0

राज्य शिक्षा केन्द्र

स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश

पुष्ठ क्रमांक ी...

शाखा . . . विधि . .

नस्ती क्र.0.22/2616/131

डब्ल्यू.पी. 20040/2015 द्वारा श्रीमती सीमा शुक्ला

विषयः न्यायालयीन प्रकरण कमांक डब्ल्यू.पी. 20040 / 2015 द्वारा श्रीमती सीमा शुक्ला विरुद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य में ओ.आई.सी. की नियुक्त करने के संबंध में।

विषयांतर्गत माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर से प्राप्त याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी. 20040/2015 द्वारा श्रीमती सीमा शुक्ला विरुद्ध शासन का अवलोकन हो। याचिका जिला शिक्षा केन्द्र, जिला भोपाल से संबंधित है। प्रकरण जिला परियोजना समन्वयक, भोपाल को ओ.आई.सी. बनाया जाना उचित है। अतः ओ.आई.सी. आदेश नस्ती में नीचे रखकर हस्ताक्षर

हेतु प्रस्तुत। अक्तरण भीक्षे मरेकार्स एक मारकार में हो

e oic milate समादाराचे

(देश्यम प्रसाद संयुक्त संयुक्त

D(upol).

S-Dahim Hol

राज्य शिक्षा केन्द्र

शाखा । ब्रिग्छे

स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश

faquw. P. 200 40/2015 8121 3/1 A/ 1/ 2/ 2/ 2/ 2017

पुष्ठ क्रमांकल्2

नस्ती क्र.022/2016/131

ग्र पृष्ट मे नियन्तर - N/S-1 पर अमरन में 01 ८ आदेश जारी किया जा युका है। - भमान में प्रतिरक्षाण अभेदश जारी चरने हेतु न हती के लगा विश्वि सिमाग, म. प्र. शासन को अंग्रिन नरमा नाही JO(P) स्पान किर्याम क्रोन्स आसी करने देते सकती विधि मिशाजा को क्रोकित का का न्यां (देवेक्सी प्रमान) (2) 1810 (CO) (MO A संयुक्त संचालकि राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल

कारमा स्व सम्बं

Anny James

ं शायुक्त राज्य शिक्षा केंद्र

स्तिरकाणं आवेश जारी कर स्ति मस्ती

विप्रिश्विमा)

18-01-2016

4756/305/11.3-16

राज्य शिक्षा केन्द्र

शाखा विक्रि...

स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश

FAUGUR 200 40/201581219 ADA CHAP214MT

विषयातर्गत माननीय उच्च न्यायान्य जबनपुट ई जाप्त मान्विका क w P 20040/2015 कारा कीमरी सीमा क्रक्ना विरुद्ध म. म. मासन (संवाज प्रक्र ४० स (। तड) का अवकां कन करने का उत्र को • माचिका में पूर्व में DPC क्रांपाल के 010 बनाया गया भा (नस्ती के पूर्व पृष्ठ NS-1 & NS-2 समें संमाजने पुक्र-वास 28 तंत्र अवलोकतार्वी) JD(P) 5121 NOWS JES 45 42 Par Part Ingell L Petition भीपाल में रहता है जिन्तु अकरवा राजगढ़ जिले का है अत: पूर्व प्रवह 18 5-01 पर अनुप्रीयित रावं संकार ने प्र 5.2842 पारी DPC आपाल को 010 जनाने का आदेश निवस्त उर ०१८ राजाद को ०१८ वनामा जाना प्रस्तानित इपया अनुमोदनाची अनुमोदन डी क्यिम में ०१८ आदेश अनुमोदनार्क सनं हस्तासरार्क प्रस्ता। JD (P) On tour ST (Alwhital Mariana Coordingtor (Legal SEA) AMD CSD पुरुष्टा में उस्त है संबंध में शिप हैं। 4 DEM (1/2 A Wing & 11/03 Olc FILL FRAL FRICAIN ग्रंजुब्दु संयाम् । राज्य शिक्षा केन्द्र गोपाल (म.प्र.) (शीला चाहिन अपर निशन एंक्साइक एक शिका केन राज्य शिक्षा केन्द्र

0 राज्य शिक्षा केन्द्र शाखा . नि।श्री स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश पृष्ठ क्रमांक . (०५)... विषय. WP. 20040/2015 ZINI admat Ani 254mi नस्ती क. 022/2016/131 MES/21015/24/501/02121/2016/2050-54 Pro13 14-3016 N/3 45 31344 31341 3050 4 010 31/481 जारी निया जा एडा है। पडरण में प्रतिरक्षण हमद्या जारी करने हेतु नम्ती रूपया विक्टि विभाग यं कित करला न्याहरी। JDCP) on tour AMD (S/D) राज्य शिक्षा केन्द्र



IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH AT JABALPUR

Process Id: 194008/2015

WP/20040/2015

From

Kishore Pithawe Deputy Registrar, High Court of Judicature at Jabalpur [FOR ADMISSION and I.R.] Fixed for 18-01-2016 WP-DA-16 Respondent No. 2

To,

Commissioner Rajya Shiksha Kendra, Pustak Bhawan, B-wing, Arera Hills, District- Bhopal (MADHYA PRADESH),

Jabalpur 05-12-2015

Sub: Notice to Respondent No. 2 in writ Petition(Mandamus/Prohibition/ Certiorari/Quo Warranto) No. WP/
20040/ 2015

Sir/Madam,

I am directed to inform you that one **Seema Shukla** has filed a petition under Article 226 of the Constitution of India (Copy enclosed) in this Court, and the same is registered as Writ Petition (Mandamus/ Prohibition/ Certiorari/ Quo Warranto) No. **WP/20040/2015**

Take notice that you are required to submit a return personally or through a duly engaged Advocate on or before 18-01-2016. If no return is filed as aforesaid, the petition will be heard and decided exparte.



Your faithfully

84

DEPUTY REGISTRAR



कार्यालय, आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र

(स्कूल शिक्षा विभाग) बी-विंग, पुस्तक भवन, भोपाल, म.प्र.

कं./रा.शि.के./सतर्कता/न्याया/2016/2053

भोपाल, दिनांक-14 मार्च 2016

सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का अधिनियम संख्या कं० 5 के आदेश सत्ताईस के नियम 1 तथा 2 के अधीन तथा म०प्र० शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश कं०एफ-16/517/97/वि०प्र०/20, दिनांक 28.1.99 द्वारा आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र, मध्यप्रदेश को प्रत्यायोजित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए जिला परियोजना समन्वयक, भोपाल को न्यायालयीन प्रकरण डब्ल्यू.पी. २००४०/२०१५ द्वारा श्रीमती सीमा शुक्ला विरुद्ध म.प. शासन एवं अन्य में प्रभारी अधिकारी बनाया गया था एतद् द्वारा निरस्त करते हुए जिला परियोजना समन्वयक, राजगढ़ को प्रभारी अधिकारी नियुक्त करते हुए माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में राज्य के लिए तथा उसकी ओर से प्रभारी अधिकारी के रूप में अभिवचनों पर हस्ताक्षर करने और उन्हें सत्यापित करने के लिए तथा कार्य करने आवेदन करने और उपसंजात होने के लिए प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त करते हैं। प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को यह आदेश दिया जाता है कि मध्यप्रदेश विधि और विधायी कार्य विभाग नियमावली में वर्णित कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त वह अपनी नियुक्ति के तुरन्त पश्चात् अन्य बातों के साथ ऐसी रीति में जिसके ब्यौरे नीचे दिये गये निम्नलिखित कार्य करेगा:-

1. प्रभारी अधिकारी मामले के तथ्यों के बारे में तुरन्त ऐसी जाँच करेगा जैसी कि आवश्यक हो और याचिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिनसे कि मामले के संचालन में महाधिवक्ता/शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुँचाने की संभावना है, रिपार्ट में विनिर्दिष्ट रूप से निर्दिष्ट रूप से की जाएगी।

2. समस्त सुसंगत फाइलें दस्तावेज नियम अधिसूचनाएँ तथा आदेश एकत्रित करेगा।

3. वाद-पत्र/याचिका में उठाये गये समस्त बिब्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिनसे कि शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुँचने की संभावना हो एक रिपोर्ट तैयार करेगा।

उक्त रिपोर्ट तथा सामग्री के साथ शासकीय अधिवक्ता से संपर्क करेगा।

शासकीय अधिवक्ता की सहायता से लिखित कथन/उत्तर तैयार करवायेगा।

प्रभारी अधिकारी निम्नलिखित कागज पत्र भेजेगा :-

वाद-पत्र की एक प्रति के साथ सरकार की एक रिपोर्ट।

प्रस्तावित लिखित कथन का एक प्रारूप। (ख)

उन सभी दस्तावेजों की एक सूची जिन्हें साक्ष्य स्वरूप फाइल करना प्रस्तावित है और जिनकी प्रस्तुत रिपोर्ट में अपेक्षा की गई है। (घ)मामले के विशुद्धिकरण के लिए आवश्यक कागज पत्रों की प्रतियां। इसमें बाद की युनवाई की तारीख

वर्णित होनी चाहिए।

7. मामले की तैयारी और संचालन करने में शासकीय अधिवक्ता का सहयोग करना और मामले उसके प्रक्रम और प्रगति में नियत किए गए कर्तव्यों से स्वयं को सदैव ही अवगत रखना।

8. जब भी कोई आदेश/निर्णय विशिष्टतया मध्यप्रदेश राज्य के विरुद्ध धारित किया गया जाता है तब विधि विभाग को सूचित करना तथा उसकी प्रमाणित प्रति करने के लिए उसी दिन या आगामी कार्य दिवस को आवेदन करना।

9. अपनी रिपोर्ट के साथ आदेश/निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा शासकीय अधिवक्ता की राय अगली कार्रवाई किए जाने के लिए इस विभाग को भेजना।

10. यह देखना कि आवेदन करने में क्या प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त करनें, रिपोर्ट बनाने, राय प्राप्त करने और उसकी सूचना देने में समय नष्ट नहीं हो।

11. जैसे ही उसे अपना स्थानान्तर आदेश प्राप्त होता है वह अर्द्धशासकीय पत्र के माध्यम से तत्काल जानकारी देगा। वह वर्तमान पद का भार सौंप देने के पश्चात् तव तक प्रभारी अधिकारी बना रहेगा जब तक कि अन्य प्रभारी अधिकारी नियुक्त नहीं कर दिया जाए।

12. प्रभारी अधिकारी मामला तैयार करने में शासकीय अधिवन्ता को हर संभव सहयोग देगा तथा इस बात के

लिए उत्तरदायी होगा कि कोई महत्वपूर्ण तथ्य या दस्तावेज अप्रकटित/छुपी हुई न रह जाए।

13. प्रभारी अधिकारी या यदि लोक अभियोजक मुकर्रर है तो वह जैसे ही वाद का विनिश्वय होता है परिणाम की रिपोर्ट विभागाध्यक्ष के माध्यम से सरकार ही करेगा। निर्णय की एक प्रति अभिप्राप्त की जाये और रिपोर्ट के साथ भेजी जाए।

14. प्रभारी अधिकारी या यदि लोक अभियोजक मुकर्रर है तो वह इस बात के लिए उतरदायी होगा कि उन मामलों में जहाँ किसी वाद प्रकम में पारित किए गये किसी अंतरिम आदेश का पुनरीक्षण अपेक्षित है,समय पर कार्रवाई की गई है। अतएव वह उस आदेश की प्रति जैसे ही वह पारित किया जाए विभागाध्यक्ष के माध्यम से अपनी अनुशंसा के साथ सरकार (प्रशासकीय विभाग) को अग्रेषित करें।

> (दीप्ति जीई बकर्जी) आर्यक्त 14 2 राज्य शिक्षा केन्द्र मध्यप्रदेश

अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग।

2. प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल।

3. महाअधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर को न्यायालयीन प्रकरण डब्ल्यू.पी. २००४०/२०१५ द्वारा श्रीमती सीमा शुक्ला विरुद्ध म.प्र. शासन के संबंध में सूचनार्थ।

4. जिला परियोजना समन्वयक, जिला शिक्षा केन्द्र, भोपाल की ओर सूचनार्थ।

5. जिला परियोजना समन्वयक, जिला शिक्षा केन्द्र, राजगढ़ की ओर पालनार्थ। कृपया प्रकरण में नियत समय में नियमानुसार आगामी कार्यवाही कर कृत कार्यवाही से कार्यालय को अवगत करायें। जिला परियोजना समन्वयक एवं नाडल अधिकारी, जिला शिक्षा केन्द्र, जिला जबलपुर की ओर सूचनार्थ।